उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

::पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ 'निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना'::

बोर्ड अधिसूचना संख्या- 7596-7727/श0नि0(185)-2011, दिनांक 22.09.2011 द्वारा अधिसूचित।

1. योजना का नाम :- 'निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना'

2. योजना का उद्देश्य :-

इस योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों के विवाह संस्कार को सुगमता से सम्पन्न कराए जाने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। बहुधा यह देखा गया है कि निर्माण श्रमिक धनाभाव के कारण कम उम्र की पुत्रियों का विवाह करने को विवश होते है और विवाह भी कम उम्र के लड़कों से ही कर दिया जाता है, जो सुयोग्य वर भी नहीं होते है। यह सभी स्थितियाँ अधिकॉशतः धनाभाव के कारण ही उत्पन्न होती है। इस योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि विवाह संस्कार सम्पन्न करने में सुगमता हो तथा विधि विपरीत कुरीतियों पर नियंत्रण भी सम्भव हो सके।

3. पात्रता :-

इस योजना अन्तर्गत वे सभी महिला एवं पुरूष पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होगे जो उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अद्यतन विधिवत पंजीकृत सदस्य है। साथ ही ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना अन्तर्गत लाभ के लिये ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक का कम से कम 05 वर्ष तक सदस्य होना अनिवार्य है, और उसके द्वारा पंजीयन के उपरान्त अगेत्तर 05 वर्ष तक नियमित रूप से अंशदान जमा किया गया है।

4. हितलाभ :-

उपरोक्तानुसार पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री के विवाह हेतु रू0 40,000/- (रू0 चालीस हजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।

यहाँ यह स्पष्ट किया जा रहा है कि यह सहायता पंजीकृत निर्माण श्रमिक की केवल एक पुत्री को ही सुलभ होगी, परन्तु यदि उसके कुल दो बच्चों में दोनों ही पुत्रियाँ है, तो यह आर्थिक सहायता दोनों पुत्रियों के विवाह हेतु अनुमन्य होगी।

जहाँ पर माता-पिता दोनों ही पंजीकृत निर्माण श्रमिक है, वहाँ दोनों में से किसी एक को ही यह सहायता सुलभ हो सकेगी। आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु यह आवश्यक होगा कि ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक को पुत्री के विवाह हेतु भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार से संचालित किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त न हुई हो। किसी अन्य शासकीय योजना से यदि इस प्रयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है, तो इस योजना के अन्तर्गत हितलाभ अनुमन्य नहीं होगा।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि यदि किसी पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक को अपनी कोई संतान नहीं है और उसने किसी कन्या को विधिवत गोद लिया है, तो ऐसी स्थिति में केवल एक गोद ली गई कन्या तक ही इस योजना अन्तर्गत लाभ अनुमन्य हो सकेगा।

सम्बन्धित कन्या के विवाह उपरान्त लाभार्थी श्रमिक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रारूप पर देना अनिवार्य होगा कि सम्बन्धित कन्या का विवाह सम्पन्न हो गया है और अनुदान की धनराशि का उपभोग सम्बन्धित मद में ही किया गया है। यह प्रमाण पत्र जिला श्रम कार्यालय को उसी कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है, जहाँ प्रार्थना पत्र प्रारम्भ में प्रस्तुत किया गया था।

5. आवेदन प्रक्रिया :-

आवेदन पत्र संलग्न प्रपत्र पर पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक द्वारा समस्त विवरण अंकित करते हुए तथा समस्त वांछित अभिलेखों के साथ निकटस्थ श्रम कार्यालय में अथवा सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी पावती आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध करवाई जाएगी।

योजना के अन्तर्गत पुत्री के विवाह की नियत तिथि के दो माह पूर्व से कम अवधि तथा विवाह सम्पन्न होने के 06 माह बाद तक के आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

दो माह से कम अवधि तथा 06 माह से अधिक अवधि के प्रार्थना पत्र पर्याप्त कारण होने की स्थिति में सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से आवश्यक पूर्वानुमति प्राप्त करके ही संज्ञान में लिये जा सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा :-

- ❖ पंजीकृत निर्माण श्रमिक का पहचान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।
- ❖ सम्बन्धित पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति।
- ❖ विवाह कार्ड जो स्थानीय ग्राम प्रधान/तहसीलदार/सभासद/पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित हो।
- ❖ पुत्री यदि गोद ली गई है, तो उससे सम्बन्धित यथा प्रमाणित अभिलेख।
- ❖ प्रश्नगत पुत्री तथा प्रस्तावित वर का आयु प्रमाण पत्र कि उन्होंने क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष की आयु (विवाह के नियत तिथि को) पूर्ण कर ली है। परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति/स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट/जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति इस हेतु आवश्यक होगी।
- ❖ लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर/राशनकार्ड या उसके समतुल्य अन्य कोई अभिलेख जिससे निर्माण श्रमिक के परिवार का विवरण हो, की फोटोप्रति।

6. **हित-लाभ की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया, भुगतान की प्रक्रिया तथा सूचना का रखरखाव एवं प्रेषण की प्रक्रिया -**

(1) योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र यदि जिला श्रम कार्यालय से इतर तहसील/विकास खण्ड कार्यालय अथवा किसी तहसील में स्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त होते है, तो उन्हें प्राप्त होने की तिथि से 07 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त करवा दिया जाएगा।

(2) जिला श्रम कार्यालय में इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुये, पत्रावली पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुये, जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 दिन के अन्दर जिलाधिकारी के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) जिलाधिकारी द्वारा ऐसे प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों पर स्थलीय जॉच के आदेश दिये जायेंगे। इस जॉच कार्यवाही में जिला स्तरीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी अथवा सम्बन्धित तहसील में कार्यरत श्रम प्रवर्तन अधिकारी को सम्मिलित किया जाएगा।

जिलाधिकारी द्वारा जॉच के लिए संयुक्त टीम भी गठित की जा सकती है, जिसमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी के अतिरिक्त एक अन्य अधिकारी भी सम्मिलित किया जा सकता है।

(4) जिलाधिकारी से आदेश प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में जॉच कार्यवाही पूर्ण विवरण सहित तथा संलग्न चेक लिस्ट में समस्त कॉलम पूर्ण करते हुए, स्पष्ट आख्या पत्रावली पर अंकित करते हुए जिला श्रम कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष उनके आदेशार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

(5) जिलाधिकारी द्वारा जॉच आख्या प्राप्त होने पर प्रस्तुत आख्या से संतुष्ट होने की स्थिति में योजनानुसार भुगतान के आदेश पारित किए जायेंगे। जॉच अथवा आख्या अपूर्ण अथवा अस्पष्ट होने की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा पुनः स्थलीय जॉच के आदेश भी किए जा सकते हैं। यह कार्यवाही जॉच आख्या प्रस्तुत होने के प्रत्येक दशा में 10 दिन के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। इसका उत्तरदायित्व जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी का होगा कि वे समय से पत्रावली जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके उनका आदेश पत्रावली में प्राप्त करके तद्नुसार कार्यवाही समय से सुनिश्चित करायें।

(6) जिलाधिकारी से आवेदन पत्र स्वीकृत होने की स्थिति में 10 दिन के अंदर जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली/पत्रावलियाँ पूर्ण विवरण सहित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त द्वारा इस प्रकार जिलाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली/पत्रावलियाँ उनके कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि से विलम्बतम 03 दिन के अंदर, सम्बन्धित लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते में बैंक ट्रांसफर के माध्यम से अथवा रेखांकित चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। रेखांकित चेक जिसमें लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक का खाता भी अंकित होगा, के माध्यम से भुगतान जिला श्रम कार्यालय द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक को सुनिश्चित किया जाएगा। जिला श्रम श्रम कार्यालय द्वारा रेखांकित चेक का भुगतान सम्बन्धित श्रमिक को अधिकतम 07 दिन में सुनिश्चित करवाते हुए, जिलाधिकारी को भी अवगत करवाया जाएगा।

(7) इस प्रकार जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त रेखांकित चेक जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुए, लाभार्थी को प्रत्येक दशा में 07 दिन के अंदर उपलब्ध करवाया जाएगा और उससे प्राप्ति रसीद दो प्रतियों में प्राप्त की जाएगी। प्राप्ति रसीद की एक

प्रति जिला श्रम कार्यालय में तथा दूसरी प्रति क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में अभिलेखार्थ संरक्षित रखी जायेगी।

(8) इस समग्र कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जाएगा। योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलेवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरांत अगले 04 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें जायेंगे।

7. **कठेनाईयों का निवारण :-**

योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव सक्षम होंगे और इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश, आदेश, इत्यादि निर्गत कर सकेंगे।

नोट :- ☆[1] उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या : 1092-98/भ0नि0बो0(185)-2013, दिनांक 29.08.2013 द्वारा संशोधित।

☆[2] उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश, पत्र संख्या : 2401-2417/भ0नि0बो0(185)-2013, दिनांक 22.08.2012 द्वारा संशोधित।

–अधिसूचना–

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के हितार्थ **"निर्माण कामगार बालिका आर्शीवाद योजना"** एवं **"निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना"** की स्वीकृति तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उनके आदेश संख्या– 857/36–2–11, दिनांक 19.09.2011 के क्रम में एतद्द्वारा निर्माण कर्मकारों के हितार्थ **"निर्माण कामगार बालिका आर्शीवाद योजना"** एवं **"निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना"** अधिसूचित की जाती है।

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

(सीताराम मीना)
सचिव।

कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पत्रांकः 7596-7727 /भवन निर्माण–(185)/2011, दिनांक– 22/9/ ,2011

प्रतिलिपि– *निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–*

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 857/36–2–11, दिनांक 19.09.2011 के क्रम में सूचनार्थ।

संलग्नकः यथोक्त।

(पंकज कुमार)
अपर सचिव।

ATTN: Dy. LABOUR COMM
ALLAHABAD
FAX No- 0532 2266
DT. 17.02.14

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 7596–7727/भवन निर्माण(185)–2010, दिनांक 22.09.2011 के माध्यम से **निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना** अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अनापत्ति संख्या– 734/छत्तीस–2–13, दिनांक 26.08.2013 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली **निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना** के अन्तर्गत निम्न संशोधन किये गये है :–

1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री के विवाह हेतु रू0 40,000/– (रू0 चालीस हजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।
2. इस योजना के अन्तर्गत विवाह के नियत तिथि के दो माह पूर्व से कम अवधि तथा विवाह सम्पन्न होने के 06 माह बाद तक के आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।
3. योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधित लाभ संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होंगें। पूर्व में प्राप्त आवेदनों पत्रों पर उपरोक्त संशोधन कदापि लागू नहीं होगे।

तदानुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(शालिनी प्रसाद)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय उ0प्र0 भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पत्रांक – 1092-98 /भ0नि0बो0(185)–2013, दिनांक– 29-08-2013

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन)उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक् प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये बेवसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 734/छत्तीस–2–13, दिनांक 26.08.2013 के क्रम में सूचनार्थ।

(माला श्रीवास्तव)
अपर सचिव, बोर्ड।

(41)

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 7596–7727 / भ0नि0बो0(185)–14, दिनांक–22.09.2011 के माध्यम से **"निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना"** अधिसूचित की गई थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर अनापत्ति संख्या–05 / 277 / छत्तीस–2–14 दिनांक–15.10.2014 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली **"निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना"** के अन्तर्गत निम्न संशोधन किए गए हैं–

1. **प्रस्तर–3, पात्रता–** इस योजना के अन्तर्गत वे सभी महिला एवं पुरूष पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे जो बोर्ड के अद्यतन विधिवत पंजीकृत सदस्य है साथ ही ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत लाभ के लिए ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक को कम से कम 03 वर्ष तक सदस्य होना अनिवार्य है, और उसकी द्वारा पंजीयन के उपरान्त अग्रेतर 03 वर्ष तक नियमित रूप से अंशदान जमा किया गया हो।

2. **प्रस्तर–4, हितलाभ–** यहां यह स्पष्ट किया जा रहा है कि यह सहायता पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सभी पुत्रियों को अनुमन्य होगी।

तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(के0के0 पुरवार)
सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 6162-68 / भ0नि0बो0(185)–2014 दिनांक– 27-10-14

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अपर / उप / सहायक श्रमायुक्त व अपर / उप / सहायक कल्याण आयुक्त(पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त उ0प्र0(कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अपुरोध के साथ कि सभी क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुए वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या–05 / 277 / छत्तीस–2–14 दिनांक– 15.10.2014 के क्रम में सूचनार्थ।

(आर0 पी0 गुप्ता)
उपश्रमायुक्त, बोर्ड।

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या 7596–7727/भ0नि0बो0(185)–14 दिनांक 22.09.2011 के माध्यम से **"निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना"** अधिसूचित की गई थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर अनापत्ति संख्या 15/2015/1962/36–2–2015–16(जी)/15 दिनांक 02.03.2016 के क्रम में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ चालायी जाने वाली **"निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना"** के अन्तर्गत निम्न संशोधन किये गये हैं–

1. **प्रस्तर–4, हितलाभ–** पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त आर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री के विवाह हेतु रू0 51,000/–(रू0 इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा अन्तर्जातीय विवाह हेतु रू0 55,000/–(रू0 पचपन हजार मात्र) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

   सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोड़ों के विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में रू0 5,000/–(रू0 पाँच हजार मात्र) प्रति जोड़े की दर से आयोजन में होने वाले व्यय का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

तदनुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 7724 /भ0नि0बोर्ड(185)–2016 दिनांक– 9/03/2016

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. श्रमायुक्त, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।
5. प्रमुख सचिव, श्रम/अध्यक्ष, बोर्ड।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 15/2015/1962/36–2–2015–16(जी)/15 दिनांक 02.03.2016 के क्रम में सूचनार्थ।

(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।

अधिसूचना

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना सं0–7596–7727/भ0नि0बो0(185)–14 दिनांक–22.09.2011 के माध्यम से **"निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना"** अधिसूचित की गई थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर अनापत्ति सं0–1850/36–2–2016/16(जी0)/15 दिनांक–03.01.2017 के क्रम में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ चलाई जाने वाली **"निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना"** के अन्तर्गत निम्न संशोधन किए गए हैं :–

वर्तमान व्यवस्था	संशोधन के उपरांत व्यवस्था
(1) प्रस्तर–1 योजना का नाम	अब योजना का नाम कन्या विवाह सहायता योजना होगा।
(2) 1 प्रस्तर–4, हितलाभ	पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री के विवाह हेतु रु0 55,000/– (रूपये पचपन हजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा अंर्तजातीय विवाह हेतु रु0 61,000/– (रूपये इकसठ हजार मात्र) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। सामूहिक विवाह की स्थित में न्यूनतम 11 जोड़ों के विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में रु0 5,000/– प्रति जोड़े की दर से होने वाले व्यय का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
(2) 2 प्रस्तर–4 हितलाभ	यह सहायता पंजीकृत निर्माण श्रमिक के कुल 02 बालिकाओं तक ही अनुमन्य होगी।
(2) 3 प्रस्तर–4 हितलाभ	पंजीकृत महिला श्रमिकों के स्वयं के विवाह की दशा में भी उपरोक्तानुसार हितलाभ की धनराशि इस शर्त के साथ देय होगी कि उसके पिता द्वारा इस मद में धनराशि प्राप्त न की गई हो। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुर्नविवाह की स्थिति में हितलाभ देय नहीं होगा।

तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 5473(1) /भ0नि0बो0(185)–2016 दिनांक– 03.01.17

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– श्रमायुक्त, उ0प्र0, जी0टी0रोड, कानपुर।
5– प्रमुख सचिव, श्रम/अध्यक्ष, बोर्ड।
6– गार्ड फाइल हेतु।
7– श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति सं0–1850/36–2–2016/16(जी0)/15 दिनांक–03.01.2017 के क्रम में सूचनार्थ।

(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।